न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) फलोदी
बइजलास–डॉ. अर्चना व्यास आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 12/2018

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
सुवटी पुत्री जेतूराम पत्नि पांचाराम जाति–विश्नोई निवासीनी–बरजासर तहसील–फलोदी जिला–जोधपुर		1. खींयाराम पुत्र माणकराम 2. हरिंगाराम पुत्र माणकराम जाति–विश्नोई निवासी–दक्षिणी ढाणी–रणीसर 3. सहीराम पुत्र पांचाराम 4. भगवानाराम पुत्र पांचाराम 5. भंवरलाल पुत्र पांचाराम जाति–विश्नोई निवासी–मोटाई तहसील–फलोदी 6. भूरी बाई पुत्री माणकराम पत्नि रिड़मलराम जाति–विश्नोई निवासी–अमरपुरा (राणेरी) तहसील–बाप 7. धापू बाई पुत्री माणकराम पत्नि सुखराम जाति–विश्नोई निवासी–राडिया मगरा (नौसर) तहसील–ओसियां 8. बंशीलाल पुत्र लालूराम 9. जगदीशराम पुत्र लालूराम 10. हरीराम पुत्र लालूराम 11. रामूराम पुत्र लालूराम जाति–विश्नोई निवासी–दक्षिणी ढाणी (रणीसर) 12. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा–आऊ जरिये शाखा प्रबन्धक 13. तहसीलदार, फलोदी

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–
श्री रेंवतसिंह पातावत वादीनी की तरफ से

निर्णय

दिनांकः– 31/08/2022

वाद वादीनी के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीनी व प्रतिवादीगण संख्या 1 एक ता 11 ग्यारह की सहहिस्सेदारी की काश्त भूमि खसरा संख्या 213 रकबा 19.3 बीघा किस्म बारानी III लगान 2.52 रूपये ग्राम रणीसर, एवं खसरा संख्या 240 रकबा 8 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 241 रकबा 46 बीघा 6 बिस्वा किस्म बारानी III लगान 6.26 रूपये, खसरा संख्या 244 रकबा 99 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी III लगान 13.49 रूपये ग्राम दक्षिणी ढाणी पटवार क्षेत्र पड़ियाल में स्थित है जिसका वादीनी ने विभाजन का वाद पेश कर बताया कि वादग्रस्त भूमि वादीनी के पिता जेतूराम व जेतूराम के भाई माणकराम, लालूराम

तीनों के नाम सहहिस्सेदारी में दर्ज थी जेतूराम की वादीनी एक मात्र वारिस एवं उत्तराधिकारी है माणकराम के प्रतिवादीगण सं. 1 एक ता 7 सात, एवं लालूराम के प्रतिवादीगण सं. 8 आठ ता 11 ग्यारह वारिस एवं उत्तराधिकारी है वादीनी का वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा, जो उसे पिता से विरासत में मिला है प्रतिवादीगण सं. 1 एक ता 7 सात का 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादीगण सं. 8 आठ ता 11 ग्यारह का 1/3 हिस्सा है, तथा Metes and Bound में विभाजन की इस्तदुआ की।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये डाक सम्मन भेजकर तलब किया प्रतिवादी सं. 12 बारह बैंक की तरफ से अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया शेष प्रतिवादीगण कोई बावजूद तामील के उपस्थित नहीं होने पर एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई प्रतिवादी सं. 12 बारह का जवाबदावा बन्द कर वादीनी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 एक ता 11 ग्यारह रेकर्डेड सहखातेदार होने से वादीनी के अधिवक्ता की बहस सुनी जाकर वादीनी का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 1 एक ता 7 सात का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 8 आठ ता 11 ग्यारह का 1/3 हिस्सा की प्राथमिक डिक्री दिनांक 22–2–2021 को जारी की जाकर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। तहसीलदार, फलोदी से विभाजन प्रस्ताव 2 दो प्रति में तैयार कर प्रस्तुत किया जाने पर प्रारम्भिक डिक्री पर बहस सुनी, एवं पत्रावली का अवलोकन किया वादीनी का वादग्रस्त भूमि में 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 1 एक ता 7 सात का 1/3 हिस्सा, प्रतिवादीगण सं. 8 आठ ता 11 ग्यारह का 1/3 हिस्सा माफिक विभाजन प्रस्ताव वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम डिक्री किया।

आदेश

वादीनी के बंट में ग्राम दक्षिणी ढाणी के खेत खसरा संख्या 241 में से 2.5198 हैक्टेयर वादीनी एवं जयसिंह पुत्र गोकलराम के बंट में खसरा संख्या 244 में से 5.3796 हैक्टेयर वादीनी के बंट में ग्राम रणीसर के खसरा सं. 213 में से 1.0333 हैक्टेयर माफिक प्रस्तावित बंटवाड़ा के नजरी नक्शा में बरंग पीला की भूमि रखी जाती है, प्रतिवादीगण सं. 1 एक ता 7 सात के बंट में ग्राम दक्षिणी ढाणी के खसरा सं. 241 में से 2.5199 हैक्टेयर, खसरा सं. 244 में से 5.4796 हैक्टेयर एवं ग्राम रणीसर के खसरा सं. 213 में से 1.0333 हैक्टेयर माफिंक विभाजन प्रस्ताव के नजरी नक्शा में बरंग केसरिया और प्रतिवादीगण सं. 8 आठ ता 11 ग्यारह के बंट में ग्राम दक्षिणी ढाणी के खसरा सं. 241 में से 2.4551 हैक्टेयर, खसरा सं. 244 में से 5.3796 हैक्टेयर, खसरा सं. 240 का सम्पूर्ण रकबा 0.0647 हैक्टेयर ग्राम रणीसर के खेत खसरा सं. 213 में से 1.0333 हैक्टैयर माफिक विभाजन प्रस्ताव के नजरी नक्शा में बताये रंग नीला रखा गया है। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा विभाजन का भाग रहेगा। डिकी पर्चा अलग से मूर्तिब हो तहसीलदार माफिक विभाजन राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

(अर्चना [illegible] आर.ए.एस)
सहायक कलेक्टर फास्ट ट्रेक
फलौदी

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(अज अदालत श्री सहायक कलक्टर फलौदी
बइजलास डॉ. अर्चना व्यास (आर. ए. एस.)

वादीगण		प्रतिवादीगण
वादीनीं	बनाम	प्रतिवादीगण

सुंवटी पुत्री जेतूराम
पत्नि पांचाराम
जाति–विश्नोई
निवासीनी–बरजासर
तहसील–फलोदी
जिला–जोधपुर

1. खींयाराम पुत्र माणकराम
2. हरिंगाराम पुत्र माणकराम
   जाति–विश्नोई
   निवासी–दक्षिणी ढाणी–रणीसर
3. सहीराम पुत्र पांचाराम
4. भगवानाराम पुत्र पांचाराम
5. भंवरलाल पुत्र पांचाराम
   जाति–विश्नोई
   निवासी–मोटाई
   तहसील–फलोदी
6. भूरी बाई पुत्री माणकराम
   पत्नि रिड़मलराम
   जाति–विश्नोई
   निवासी–अमरपुरा (राणेरी)
   तहसील–बाप
7. धापू बाई पुत्री माणकराम पत्नि सुखराम
   जाति–विश्नोई
   निवासी–राडिया मगरा (नौसर)
   तहसील–ओसियां
8. बंशीलाल पुत्र लालूराम
9. जगदीशराम पुत्र लालूराम
10. हरीराम पुत्र लालूराम
11. रामूराम पुत्र लालूराम
    जाति–विश्नोई
    निवासी–दक्षिणी ढाणी (रणीसर)
12. एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा–आऊ
    जरिये शाखा प्रबन्धक
13. तहसीलदार, फलोदी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वाद संख्या 12/2018

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रुबरु मेरे हाजिर श्री रेंवतसिंह पातावत अधिवक्ता मुदई पेश होकर हुक्म दिया जाता है की वादीनी के बंट में ग्राम दक्षिणी ढाणी के खेत खसरा संख्या 241 में से 2.5198 हैक्टेयर वादीनी एवं जयसिंह पुत्र गोकलराम के बंट में खसरा संख्या 244 में से 5.3796 हैक्टेयर वादीनी के बंट में ग्राम रणीसर के खसरा सं. 213 में से 1.0333 हैक्टेयर माफिक प्रस्तावित बंटवाड़ा के नजरी नक्शा में बरंग पीला की भूमि रखी जाती है, प्रतिवादीगण सं. 1 एक ता 7 सात के बंट में ग्राम दक्षिणी ढाणी के खसरा सं. 241 में से 2.5199 हैक्टेयर, खसरा सं. 244 में से 5.4796 हैक्टेयर एवं ग्राम रणीसर के खसरा सं. 213 में से 1.0333 हैक्टेयर माफिक विभाजन प्रस्ताव के नजरी नक्शा में बरंग केसरिया और प्रतिवादीगण सं. 8 आठ ता 11 ग्यारह के बंट में ग्राम दक्षिणी ढाणी के खसरा सं. 241 में से 2.4551 हैक्टेयर, खसरा सं. 244 में से 5.3796 हैक्टेयर, खसरा सं. 240 का सम्पूर्ण रकबा 0.

(फास्ट बैंक) फलोदी

0.0647 हैक्टेयर ग्राम रणीसर के खेत खसरा स. 213 में से 1.0333 हैक्टेयर मार्फिक विभाजन प्रस्ताव के नजरी नक्शा में बताये रंग नीला रखा गया है। विभाजन प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा विभाजन का भाग रहेगा। तहसीलदार फलौदी मार्फिक आदेश राजस्व अभिलेख में दर्ज करें।

मुतालिक

बाबत

खर्चा इस मुकदमें मय सूद व माहर फीस सदी सालाना आज की तारीख को अदा करें।

वसूल याबी तक

बराबर मरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 31 माह 05 सन् 2022 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी/उपखण्ड दण्डनायक
फलौदी

मोहर

मुद्दई	रुपया	पैसे	मुद्दायला	रुपया	पैसे
अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमी नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	—	—	अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनतनामा वकील खर्चा गवाहान फीस कमी नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मिजान	—	—

नोट— इस खर्च के फॉर्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे